भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4109
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

4109. श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के सभी बुजुर्गों , विशेषकर उन लोगों को पेंशन प्रदान करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पेंशन का लाभ नहीं उठा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार किस प्रकार ऐसे बुजुर्गों को कवर करने की योजना बना रही है जो किसी भी कारण या बहिष्करण मानदंड के कारण किसी भी प्रचलित पेंशन योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं;
(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि मौजूदा वृद्धावस्था पेंशन दरें बुजुर्ग व्यक्ति के लिए उनकी बुनियादी और न्यूनतम आजीविका आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हों;
(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित व्यक्तियों को दी जाने वाली वर्तमान पेंशन दर क्या है;
(ङ) क्या सरकार एनएसएपी के अंतर्गत पेंशन बढ़ाने की भी योजना बना रही है; और
(च) एनएसएपी के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन का अंतिम संशोधन कब हुआ था?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): वर्तमान में, देश के सभी बुजुर्गों को पेंशन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव ग्रामीण विकास मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

(ग): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले 60-79 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक लाभार्थी के लिए केंद्रीय पेंशन 200 रुपए प्रति

माह है तथा 80 वर्ष से अधिक आयु समूह के प्रत्येक लाभार्थी के लिए 500 रुपए प्रति माह है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता के बराबर टॉप-अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है , ताकि लाभार्थियों को उचित स्तर की सहायता मिल सके। वर्तमान में , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत प्रति लाभार्थी ₹ 50 से ₹ 3000 प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹ 1,000/- हो रही है। सरकार ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) के लिए एनएसएपी को जारी रखने का निर्णय लेते समय संशोधन प्रस्ताव पर विचार किया और 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-26) तक कार्यक्रम को इसके वर्तमान स्वरूप में अनुमोदित किया।

(घ): राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹200/- प्रति माह, विधवा पेंशन योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹300/- प्रति माह और दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत 18 से 79 वर्ष की आयु के प्रत्येक लाभार्थी को ₹300/- प्रति माह केंद्रीय पेंशन है। एनएसएपी की तीनों पेंशन योजनाओं में 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी के लिए सहायता दर ₹500/- प्रति माह है। वर्तमान में , राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी पेंशन योजनाओं के तहत प्रति लाभार्थी ₹50 से ₹3716 प्रति माह तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औसत मासिक पेंशन लगभग ₹1,000/- हो रही है।

(ङ): वर्तमान में, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च): वर्ष 2007 में वृद्धावस्था पेंशन को ₹ 75 से बढ़ाकर ₹ 200 कर दिया गया था। वर्ष 2011 में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर ₹ 500 कर दिया गया।

****